Schedule-XII- High Court No.-(J)9a[old(M)164]

<u>*न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय रोसड़ा (समस्तीपुर)*</u>

B.P. No. - 170-C/2026.

C.I.S. No.- 170/2026.

Date of order.	Order with Signature of Court.	Action taken.
12.06.2026.	1. आवेदक अभियुक्त **सुमित कुमार,** विथान थाना कांड संख्या–24/2026, अंतर्गत धारा–25(1-B)a, 26, 35 भा0न्या0सं0 से संबंधित है। आवेदक अभियुक्त दि0. 24.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। 2. सूचक पु0अ0नि0 सह थानाध्यक्ष प्रकाश चंद्र राजू के फर्दबयान के अनुसार अभियोजन का सारांश यह है कि दि0. 14.02.2026 को समय 03:15 बजे सूचक द्वारा अन्य सशस्त्र बल के साथ छापेमारी के क्रम में सखवा उच्च विद्यालय स्थित परित्यक्त भवन के पास पहुंचा तो वहां एक कमरे में उपस्थित आवेदक अभियुक्त अमित कुमार एवं तीन अन्य सह–अभियुक्त पुलिस बल को देखकर भागने लगे जिसे सशस्त्र बल के सहयोग से पकड़ा गया। पकड़ाए चारो व्यक्ति के बदन एवं कमरे की तलाशी ली गयी तो बिछाए गए कम्बल के नीचे से एक पिस्टल एवं 04 नग गोली बरामद हुआ। बरामद आग्नेयास्त्र के बारे में पूछे जाने पर अभियुक्तगण के द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। बरामद पिस्तौल एवं चार गोलियों को जप्त कर उसकी जप्ती सूची बनायी गयी। 3. आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से जमानत की याचना की गयी एवं यह उल्लेख किया गया कि पूर्व में आवेदक की ओर से न तो अग्रिम जमानत आवेदन और न ही नियमित जमानत आवेदन किसी भी वरीय न्यायालय में दाखिल किया गया है, न ही लंबित है। आवेदक निर्दोष है एवं इसने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक के विरूद्ध लगाए गए सभी आरोप झूठे एवं बनावटी है। विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि आवेदक के कब्जे से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। आवेदक दि0. 24.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः आवेदक की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाय। 4. राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा आवेदक की ओर से दाखिल जमानत आवेदन का विरोध किया गया। 5. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। प्राथमिकी के अनुसार आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध एक राय बनाकर अन्य सह–अभियुक्तों के साथ अवैध आग्नेयास्त्र रखने का आरोप है। प्राथमिकी से ही यह स्पष्ट होता है कि छापेमारी के दौरान ही आवेदक एवं अन्य सह–अभियुक्तों को घटनास्थल से गिरफ्तार किया गया और परित्यक्त भवन में बिछाए गये कंबल के नीचे से अवैध आग्नेयास्त्र बरामद किया गया। उल्लेखनीय है कि अवैध आग्नेयास्त्र का प्रयोग अपराधियों द्वारा प्रायः अपराध कारित करने में ही किया जाता है। अवैध आग्नेयास्त्र के प्रयोग से सामाजिक शांति एवं विधि–व्यवस्था को गंभीर खतरा उत्पन्न होता है। आवेदक सहित सभी सह–अभियुक्तों के विरूद्ध आयुध अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आरोप–पत्र समर्पित किया जा चुका है। उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए आवेदक	<u>**लगातार**</u>

Schedule-XII- High Court No.-(J)9a[old(M)164]

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय रोसडा (समस्तीपुर)

B.P. No. - 170-C/2026.

C.I.S. No.- 170/2026.

12.06.2026.	अभियुक्त की ओर से दाखिल जमानत आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है। हालांकि आरोप–गठन के पश्चात आवेदक पुनः नया जमानत आवेदन दाखिल कर सकता है। **लेखापित.** Sd/. **(राजीव कुमार मिश्र)** **अपर सत्र न्यायाधीश–II,** **रोसड़ा।** **Office of the Distt. & Addl. Sessions Judge-II, Rosera, Samastipur** **D.B. No................../Dated-** ➢ Copy of bail order and entire T.C.R of Bithan P.S case No. 24/2026 is being sent to the Court of Ms. Shivpriya J.M(F.C), Rosera for information and needful. **(राजीव कुमार मिश्र)** **अपर सत्र न्यायाधीश–II,** **रोसड़ा**	